

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताकर जज

पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13/12/23

29/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठवासी अधिकारी 13/12/23 को पत्र में व्यवस्था की है। पत्र को वास्तव में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 13-12-23 को पेश हो।

*Amal*

13.12.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद पत्र न्यायालय द्वारा आज निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*Amal*

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)